



संख्या- 1475/भा.वि.वि/कुसका/2023-622/21

दिनांक : 24 अगस्त, 2023

**अधिसूचना**

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 22 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय "सभा" (कोर्ट) का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

| श्रेणी-1 पदेन सदस्य |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (i)                 | कुलपति               | प्रो० एन०बी० सिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (ii)                | कार्य परिषद के सदस्य | <ol style="list-style-type: none"> <li>माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार ओझा (से.नि.), निवास 3/494, विकल्प खण्ड गोमती नगर, लखनऊ-226010</li> <li>प्रो० जयशंकर प्रसाद पाण्डेय, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, बप्पा श्री नारायण वोक्शनल पी०जी० कॉलेज (के०के०वी०), चारबाग, लखनऊ।</li> <li>प्रो० ललिता राव, (सेवानिवृत्त) बी०एड० विभाग, उदय प्रताप स्वायत्तशासी पी०जी० कॉलेज, वाराणसी।</li> <li>प्रो० सुधांशु पांड्या, डीन एवं डायरेक्टर-स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल सी०एस०जे०एम० यूनिवर्सिटी, कानपुर।</li> <li>डॉ० तहसीर फातिमा, संकायाध्यक्ष-विज्ञान</li> <li>प्रो० मसऊद आलम, संकायाध्यक्ष-कला एवं मानविकी</li> <li>प्रो० एहतेशाम अहमद, आचार्य-वाणिज्य, सदस्य-अन्य पिछड़ा वर्ग</li> <li>प्रो० सौबान सईद, आचार्य-उर्दू, सदस्य-अन्य पिछड़ा वर्ग</li> <li>प्रो० एस०एस०ए० अशरफी, आचार्य-उर्दू विभाग।</li> <li>प्रो० चन्दना डे, आचार्य-शिक्षाशास्त्र विभाग</li> <li>डॉ० मोहम्मद शारिक, सहायक आचार्य-शारीरिक शिक्षा विभाग</li> <li>डॉ० अताउर्रहमान आजमी, सहायक आचार्य-व्यवसाय प्रशासन विभाग</li> </ol> |
| (iii)               | वित्त अधिकारी        | श्री साजिद आजमी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



-2-

| श्रेणी-II आजीवन सदस्य                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (iv)                                  | किसी विद्यमान विश्वविद्यालय की दशा में, प्रत्येक सदस्य, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व सभा या सीनेट का आजीवन सदस्य था                                                                  | शून्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| श्रेणी-III अध्यापकों के प्रतिनिधि आदि |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (v)                                   | विश्वविद्यालय के और उसके द्वारा पोषित संघटक महाविद्यालयों के सभी विभागाध्यक्ष                                                                                                                   | 1- प्रो० मसऊद आलम,<br>विभागाध्यक्ष-अरबी<br>2-प्रो० सैयद हैदर अली,<br>विभागाध्यक्ष-व्यवसाय प्रशासन विभाग<br>3-प्रो० फखरे आलम,<br>विभागाध्यक्ष-उर्दू विभाग<br>4-प्रो० चन्दना डे,<br>विभागाध्यक्ष-शिक्षाशास्त्र<br>5-प्रो० एहतेशाम अहमद,<br>विभागाध्यक्ष-वाणिज्य<br>6-प्रो० तनवीर खदीजा,<br>विभागाध्यक्ष-अंग्रेजी<br>7-डॉ० ततहीर फातिमा,<br>विभागाध्यक्ष-गृह विज्ञान |
| (vi)                                  | औषधि और अभियांत्रिकी के संकायाध्यक्ष, बशर्ते वे कार्य परिषद् के सदस्य न हो।                                                                                                                     | शून्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (vii)                                 | विश्वविद्यालय और उसके संघटक महाविद्यालयों एवं संस्थानों के छात्रावासों और छात्र निवासों के प्रोवोस्टों तथा वार्डनों के 02 प्रतिनिधियों का चयन निर्धारित रीति के चक्रानुक्रम द्वारा किया जायेगा। | 1- प्रोवोस्ट-रानी लक्ष्मी बाई महिला छात्रावास<br>2- प्रोवोस्ट-नेताजी सुभाष पुरुष छात्रावास                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (viii)                                | राज्य सरकार द्वारा पोषित संघटक महाविद्यालयों के सभी प्राचार्य                                                                                                                                   | शून्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (ix)                                  | पन्द्रह अध्यापक जिनका चयन निर्धारित रीति से किया जायेगा।                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (क)                                   | विश्वविद्यालय के दो आचार्य                                                                                                                                                                      | 1-प्रो० मसऊद आलम<br>2-प्रो० सैयद हैदर अली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (ख)                                   | विश्वविद्यालय के तीन सह आचार्य                                                                                                                                                                  | 3-डॉ० मुशीर अहमद<br>4-डॉ० ततहीर फातिमा<br>5-अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित होने के कारण पद रिक्त                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (ग)                                   | विश्वविद्यालय के चार सहायक आचार्य                                                                                                                                                               | 6-डॉ० अब्दुल हफीज़<br>7-डॉ० मज़हर खालिक<br>8-डॉ० नीरज शुक्ल<br>9-डॉ० मोहम्मद अकमल शादाब                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (घ)                                   | छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष                                                                                                                                                                    | अधिष्ठाता-छात्र कल्याण।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |





|                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | (ड.) | सम्बद्ध महाविद्यालयों के दो प्राचार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11- शून्य<br>12- शून्य                                                                                                                                               |
|                                               | (च)  | सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन अन्य अध्यापक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13- शून्य<br>14- शून्य<br>15- शून्य                                                                                                                                  |
| (x)                                           |      | सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र के दो प्रतिनिधियों का निर्धारित शीति से चक्रानुक्रम द्वारा चयन किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                       | शून्य                                                                                                                                                                |
| <b>श्रेणी-IV पंजीकृत स्नातक</b>               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
| (xi)                                          |      | पंजीकृत स्नातकों में से पन्द्रह प्रतिनिधियों का उसा प्रारिथति वाले पंजीकृत स्नातकों द्वारा चयन किया जायेगा, जिन्हें उनमें से ऐसे व्यक्तियों में से विहित किया जा सकेगा, जो विश्वविद्यालय की या किसी संस्थान की या किसी संघटक महाविद्यालय की सेवा में नहीं है अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय, सहयुक्त महाविद्यालय, छात्र निवास अथवा छात्रावास के प्रबन्धतंत्र में सेवा में नहीं है या उससे सम्बद्ध नहीं है। | कार्यवाही प्रक्रियाधीन।                                                                                                                                              |
| <b>श्रेणी-V विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
| (xii)                                         |      | संकायों में से प्रत्येक में से एक विद्यार्थियों जिसने किसी भी विश्वविद्यालय की पूर्ववर्ती उपाधि की परीक्षा में उसा संकाय में अधिकतम अंकों को प्राप्त किया है और वह विश्वविद्यालय में (सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय सहित) किसी स्नातकोत्तर उपाधि या विधि या चिकित्सीय या अभियांत्रिकी उपाधि के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम का अनुशीलन कर रहा है।                                                        | 1- श्री अब्दुल अब्बल कला एवं मानविकी संकाय<br>2- सुश्री कायनात खान, वाणिज्य संकाय<br>3- सुश्री आयशा फातिमा सामाजिक विज्ञान संकाय<br>4-श्री आकिफ अंसारी विज्ञान संकाय |
| <b>श्रेणी-VI कुलपति के नाम निर्देशिती</b>     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
| (xiii)                                        |      | 1(***)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1971 के उ0प्र0 अधिनियम संख्यां 29 द्वारा लोपित                                                                                                                       |
| (xiv)                                         |      | विधान परिषद् के दो सदस्यों का उसके द्वारा चुनाव किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1-श्री अंगद कुमार सिंह<br>2-श्री मुकेश शर्मा                                                                                                                         |
| (xv)                                          |      | विधान सभा के पांच सदस्यों का उसके द्वारा चुनाव किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. श्री योगेश वर्मा<br>2. श्री हरिवन्दर कुमार साहनी 'रोमी साहनी'<br>3. श्री अनिल कुमार सिंह,<br>4. श्री अरमान खान,<br>5. श्री फरीद महफूज किदवई,                      |

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-22 के अनुसार (2) उपधारा (1) में श्रेणी I, II तथा V के सिवाय प्रत्येक वर्ग के सदस्यों के पद का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और उक्त श्रेणी V के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होगा।



ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के परिनियम 4.13 के अनुसार सभा के सदस्यों का कार्यकाल सभा के प्रथम अधिवेशन के दिनांक से प्रारम्भ होगा।

*Omisha*

(डॉ० भावना मिश्रा)  
कुलसचिव।

संख्या— /भा.विवि/कुसका/2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति जी, राज्यपाल सचिवालय, उ०प्र०, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. मा० कुलपति जी।
4. सम्बन्धित मा० सदस्य विश्वविद्यालय सभा।
5. वित्त अधिकारी
6. समस्त आचार्य/सह आचार्य/सहायक आचार्य
7. उप कुलसचिव।
8. वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।

*Omisha*

कुलसचिव।